सत्यमेव जयते
Goverment Of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

के माननीय अध्यक्ष श्री अंतरसिंह आर्य की अध्यक्षता में आयोजित

जिला स्तरीय समीक्षा बैठक

दिनांक: 21 अगस्त, 2024

स्थान: कलेक्टर कार्यालय,जिला-बड़वानी (मध्यप्रदेश)

छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली -110003
6th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003
Tel.: 011-24623958 Fax : 011-24624628 Email : chairperson@ncst.nic.in

अनुक्रमणिका

स.क्र.	विषय	स्थान	पृष्ठ क्र.
1.	**प्रस्तावना**		3
2.	**संवाद कार्यक्रम** (वन रक्षा समिति, वन अधिकार हितग्राही एवं पेसा समिति से चर्चा)	स्वामी विवेकानन्द सभागार,शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी	4
3.	**जिला स्तरीय समीक्षा बैठकविवरण**	कलेक्टर कार्यालय,पालघर	

श्री अंतरसिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष,राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2024 को मध्य प्रदेश राज्य के बड़वानी जिले का दौरा एवं जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की रिपोर्ट

---

1. प्रस्तावना

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नईदिल्ली के वायरलेस संदेश क्रं TP/CP/NCST/2024 दिनांक 16-08-2024 के क्रम में श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नेतृत्व में एक दल ने दिनांक 21 अगस्त, 2024 को मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले का दौरा किया जिसमें आयोग से श्री अंकित कुमार सेन, अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, श्री प्रकाश कुमार उईके, सहायक निजी सचिवएवं श्री अमृत प्रजापति, सलाहकार ने सहभागिता की।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आगमन पर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, बड़वानी द्वारा उनका स्वागत किया गया।माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिले के सर्किट हाउस में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं से भेंट की तथा उनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

बड़वानी जिले में माननीय अध्यक्ष महोदय के दौरे का विस्तृत विवरण

2. संवाद कार्यक्रम (वन रक्षा समिति, वन अधिकार हितग्राही एवं पेसा समिति से चर्चा)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने बड़वानी जिले में शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्वामी विवेकानन्द सभागार में आयोजित संवाद कार्यक्रम में क्षेत्र के जन-प्रतिनिधियों के साथ-साथ जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम में बड़वानी जिलेकी वन रक्षा समितियों, पेसा समितियों के सदस्यों एवं वन अधिकार के हितग्राहियों के साथ कई जनजातीय युवाओं ने भी सहभागिता की।कार्यक्रम की शुरुआत में श्री प्रकाश कुमार उईके, माननीय अध्यक्ष के सह निजी सहायक द्वारा माननीय अध्यक्ष जी का परिचय देते हुए आयोग केगठन,कार्य एवं शक्तियों के बारे में उपस्थित जनसमूह को जानकारी दी। तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा

3. जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का विवरण

माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय, बड़वानी में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में आयोग के दल सहित जिला प्रशासन से श्री राहुल फटिंग, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, श्री पुनीत गेहलोत, पुलिस

अधीक्षक, सुश्री काजल जावला, जिला पंचायत सीईओ, एवं श्री के. के. मालवीय, अपर कलेक्टर सहित जिले के समस्त विभागों के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। सर्वप्रथम श्री अंकित कुमार सेन,अनुसंधान अधिकारीद्वारा आयोग के गठन, कार्य तथा शक्तियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की गई। तत्पश्चात जिला कलेक्टर श्री राहुल फटिंग द्वारा पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से सभी विभागों की क्रमवार जानकारी आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिला प्रशासन द्वारा भेजी गई जानकारी के आधार पर आयोग द्वारा विभागवार योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की गई, जो कि निम्नानुसार है:

सामान्य जानकारी

बड़वानी जिला मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं।नर्मदा नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। जिले के दक्षिण में सतपुड़ा एवं उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणियां हैं।बड़वानी जिले में 9 तहसीलें एवं 7 विकासखण्ड हैंजो सभी जनजातीय विकासखण्ड के अन्तर्गत आते हैं।

बड़वानी नाम की उत्पत्ति **बड़ के वन** से हुई है, जिनसे यह शहर पुराने समय में घिरा हुआ था, **वानी** शब्द बगीचे के लिये प्रयोग में लाया जाता है, इस कारण शहर को बड़वानी नाम से जाना जाने लगा है, जिसका अर्थ हुआ **'बड़ का बगीचा'**। **बैठक में जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई योजना एवं कार्यक्रमों की तथ्यात्मक जानकारी:**

- **जनसंख्या**: वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बड़वानी जिला की कुल जनसंख्या 13,85,881 है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 9,62,145 (69.42%) है।
- **शिक्षा:** जिले की कुल साक्षरता दर 49.08% है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 30.97% (महिला 26.62% एवं पुरुष 35.33%)

है। जिले में अनुसूचित जनजाति में प्राथमिक स्तर पर शाला त्यागने की दर 2.9 प्रतिशत, माध्यमिक स्तर पर 13.36 प्रतिशत एवं हाईस्कूल स्तर पर 10.05 प्रतिशत है।

❖ बैठक में जानकारी प्रदान की गई कि जनजातीय कार्य विभाग द्वारा हाईस्कूल स्तर पर 49 छात्रावास संचालित किये जा रहे है, जिनमें से 2027 बालक एवं 788 बालिका निवासरत होकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कॉलेज स्तर पर 6 छात्रावास है, जिनमें 306 स्वीकृत सीटों में से 150 बालक एवं 200 बालिकाएं निवास कर रहे हैं।

❖ जिले में 8 सीएम राईज विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिनमें 7672 छात्र-छात्रायें कक्षा केजी-1 से कक्षा 12वीं तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा दो विद्यालयों (सीएम राईज सेंधवा तथा बड़वानी) के भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। विभाग द्वारा बताया गया कि दिसम्बर 2024 तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जाना अपेक्षित है। जिले में 4 कन्या शिक्षा परिसर संचालित हैं। इसके साथ ही 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं,जिनमें 2400 छात्र-छात्रायें शिक्षा गृहण कर रहे हैं।

- **कृषि विभाग:**
  - ❖ कृषि विभाग के अंतर्गत बैठक में जानकारी प्रदान की गई कि जिले में 100322 अनुसूचित जनजाति कृषकों के द्वारा मक्का, ज्वार, बाजरा, कोदो, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सरसों, अलसी, अरण्डी, कपास, गेंहू, चना एवं गन्ना आदि मुख्य फसलें उगाई जाती है, जिसके लिए उनके द्वारा उन्नत कृषि तकनीकें एवं पद्धतियों का सहारा भी लिया जाता है। जिला में लगभग 22 हजार हेक्टेअर भूमि पर मोटे अनाज की खेती की जाती है।

- **जिले में रोजगार:**
  - ❖ बैठक में जानकारी प्रदान की गई कि जिले में अनुसूचित जनजाति के 11518 पुरुष तथा 7790 महिलाओं द्वारा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन किया गया हैं। जिलें में 10620 लोग कुशल, 6724 अकुशल, 925 विज्ञान स्नातक, 12 डॉक्टर तथा 382 लोग तकनीकी रुप से योग्य व्यक्ति है। शासन द्वारा मुख्यमंत्री टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, भगवान बिरसा मुण्डास्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी आदि योजना के माध्यम सेस्व-रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
  - ❖ वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना के तहत 1 से 50 लाख रुपये तक का ऋण देने का प्रावधान है, जिसमें वर्ष 2023-24 में 60 के लक्ष्य में 80 लोगों को ऋण उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत 628 के लक्ष्य पर केवल 14 लोगों को ही रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

    जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत कम लक्ष्य होने के पीछे के कारण में बताया कि इस योजना में लाभार्भी को दिया जाने वाले ऋण की मात्रा कम (10 हजार से 1 लाख) होने से कम लोगों ने आवेदन किया है।

अनुसूचित जनजाति महिला के लिए जिले में कुल 8330 स्वयं सहायता समूह बनाये गये हैं, जिनमें 89501 अनुसूचित जनजाति की महिलायें बचत एवं अन्य गतिविधियों में शामिल है। बैठक में यह भी बताया कि 511 महिलायें दूध डेयरी, 111454 बकरी पालन, 143 मछली पालन, 366 मुर्गी पालन, 36049 कृषि उद्यानिकी तथा 14623 महिलायें गैर कृषि गतिविधियों में शामिल होकर आय अर्जित कर रही हैं।

- **आवास योजना:**
  - ✓ बैठक में जानकारी प्रदान की गई कि अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को 10 वर्षों के दौरान वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत 168 आवासीय वनभूमि के पट्टों का वितरण किया गया है।
  - ✓ जिले में 7 जनपद पंचायतों के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए 82539 आवास निर्मित किये गये हैं।
  - ✓ प्रधानमंत्री आवास शहरी के अन्तर्गत 9 नगरीय निकायों में कुल 14139आवासों में से 3510 आवास अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए निर्मित किये गये हैं।
- **बिजली विभाग:**
  - ✓ बैठक में जानकारी उपलब्ध कराई गई कि बड़वानी जिले में म.प्र.प.क्षे.वि.वि. कं.लि.वृत्त अंतर्गत मिश्रित श्रेणी के 702 गावों/आवासों में से 575 में स्ट्रीट लाईट्स नहीं है। इन ग्रामों में स्ट्रीट लाईट्स उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई कि म. प्र. प. क्षे. वि. वि. कं. लि. बड़वानी वृत्त से संबंधित नहीं होकर शासन स्तर से संबंधित है, किन्तु संबंधित ग्रामों में ग्राम पंचायतें 15वें वित्त/5वें राज्य वित्त के माध्यम से कार्य करा सकती है।

- **ग्रामों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता**

- ✓ बैठक में बताया कि जिले में स्थापित 14511 हेण्डपम्प एवं 1425 सिंगलफेस मोटरपम्प एवं स्थापित नलजल योजनाओं से शुद्ध पेयजल प्राप्त हो रहा है।
- ✓ जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत एकल नलजल योजनाओं एवं जल निगम मर्यादित की समूह जल प्रदाय योजनाओं द्वारा संपूर्ण जिले में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के कार्य प्रगति पर हैं।
- ✓ जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिले में कुल 329 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है जिसमें से 209 योजनायें पूर्ण एवं 120 योजनायें प्रगतिरत हैं।

- **स्वास्थ्य विभाग:**
  - ✓ बैठक में आयोग द्वारा स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त की गई जिसमें स्वास्थ्य विभाग से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर कोई भी पद रिक्त नहीं है। जिला में 1 जिला चिकित्सालय, 2 सिविल अस्पताल, 30 बेड के 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2 शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, 2 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 358 उप-स्वास्थ्य केन्द्र तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थायें संचालित है।
  - ✓ सिकल सेल एनिमिया बिमारी विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करती हैं। बड़वानी जिले में सिकल सेल एनिमिया स्क्रीनिंग अंतर्गत जनजातिय विकासखण्डों में 4,35,592 व्यक्तियों की जांच की गई है। जिसमें से सिकल से बिमारी से ग्रसित व्यक्ति 2428 एवं सिकल सेल वाहक 14,932 पाये गये। जिले में सिकल सेल स्क्रीनिंग का कार्य जारी है। साथ ही हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर जेनेटिक कार्ड

वितरण कर परामर्श प्रदान किया जा रहा है एवं सिकल सेल रोगीयों का फालोअप कर उपचार किया जा रहा है। साथ ही जिला स्तर पर भेजकर दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बनाये जा रहे है।

- ✓ बड़वानी जिले में अनुसूचित जनजातियों में कुपोषण के कारण एवं संक्रामक बीमारियों के कारण कोई भी मृत्यु नहीं हुई।

- **अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम(एट्रोसिटी एक्ट):**
  - ✓ बैठक में जानकारी प्रदान की गई कि अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अन्तर्गत बड़वानी जिले में वर्ष 4 वर्षों में 239 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनमें से सभी को राहत राशि के लिए स्वीकृत किये है लेकिन अभी तक 52 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान किये जाने में लंबित है।
- **महिला एवं बाल विकास विभाग:**
  - ✓ बैठक में जानकारी प्रदान की गई कि जिले के अनुसूचित जनजाति के आवासों में 1784 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं तथा उनके अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या 87596 है।
  - ✓ जिले के अधिकारियों के द्वारा लगभग 350 आंगनवाड़ीयों को गोद लिया है।
- **वनाधिकार अधिनियम:**
  - ✓ जिले में वनाधिकार अधिनियम 2006के तहत जिले मेंअनुसूचित जनजाति के सदस्यों को कृषि वनभूमि के कुल 25185 वनाधिकार पट्टे प्रदाय किये गये हैं जिनका रकबा 42823.37914 हैक्टे. तथा 168 आवासीय वनभूमि के जिनका रकबा 54.2933 हैक्टे. के पट्टों का वितरण किया गया।
- **वन विभाग की योजना:**

- ✓ बैठक में जानकारी उपलब्ध कराई गई कि जिला बड़वानी के अंतर्गत दो वनमण्डल सेंधवा एवं बड़वानी स्थापित है। जिला युनियन सेंधवा एवं बड़वानी के अन्तर्गत छोटे वनउत्पादों में मुख्यतः तेदुपत्ता संग्रहण होता है। वर्ष 2024 में जिला यूनियन सेंधवा एवं बड़वानी का 2649 मानक बोरो का लक्ष्य निर्धारित था जिसके विरुद्ध 3142.38 मानक बोरा का संग्रहण हुआ।
- ✓ तेदुपत्ता संग्रहण जनजातीय समुदाय एवं अन्य वर्ग द्वारा तेदुपत्ता फडो पर प्राथमिक लघुवनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से किया है। तेन्दुपत्ता संग्रहण का वर्तमान संग्रहण दर 4000 प्रति मानक बोरा है। तेदुपत्ता संग्रहण के पूर्व प्राथमिक लघुवनोपज सहकारी समितियों का मिलान होता है जिसमें ठेकेदार द्वारा तेंदुपत्ता का हरीपत्ति का क्रय किया जाता है।

समीक्षा बैठक के दौरान माननीय अध्यक्ष का उद्भोदन

आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा बड़वानी जिले के दौरे एवं निरीक्षण के दौरान जिले के अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी लेने के पश्चात जिला प्रशासन को निम्न सुझाव एवं अनुशंसायें प्रस्तुत की है जो इस प्रकार है:

- बड़वानी जिले के सेंधवा विकासखण्ड के बलवाड़ी में बैंक ऑफ इंडिया में केवाईसी के लिए लोगों की लंबी लाईन लगती है जिसके निराकरण के लिए केंप का आयोजन किया जाये।
- प्रधानमंत्री आवास के लिए जो ग्राम के नाम छूट गये हैं उनकी जांच कर उन्हें पुन: प्रधानमंत्री आवास के पोर्टल पर दर्ज कराया जाया।
- महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्य-राजमार्गों के दोनों किनारों पर नीम और करंजी के पेड़ लगाये जाये जिसके लिए जिला पंचायत सीईओ अपनी जिम्मेदारी से यह कार्य पूर्ण करे।
- प्रशासन के सभी विभाग आपसी ताल-मेल से कार्य करें तथा जनजातीय समुदाय को केन्द्र में रखकर कार्य करे।
- जिले में सिकल सेल की स्क्रीनिंग पूर्ण करे तथा सिकल सेल के उपचार पर गंभीरता से कार्य करें।
- जिले में वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जो पट्टे छूट गये हैं उनकी जांच कर जितनी भूमि पर अनुसूचित जनजाति के लोग कृषि कर रहे हैं उन्हें उतनी भूमि का नियमानुसार पट्टा दिया जाये।
- मछली पालन में कितने जनजाति लोगों को मछली पकड़ने का ठेका दिया है एवं कितने गैर-जनजाति के लोगों को दिया उसकी जानकारी आयोग को भेजी जाये।
- वनाधिकार के पट्टों का वितरण किया गया उनके साथ ऋण पुस्तिका नहीं दी गई जिसके कारण किसानों को सोसायटी से खाद-बीज उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इसके लिए सोसायटी को निर्देशित किया जाये तथा समस्या का निराकरण किया जाये।
- सामुदायिक दावों का भौतिक सत्यापन किया जाये।

- पेसा अधिनियम को गंभीरता से लेकर लोगों एवं कर्मचारियों में जागरुकता एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।